2017/0008

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–राजन विशाल, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –11/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
खींयाराम पुत्र निम्बाराम जाति जाट निवासी गुलासर तहसील खींवसर जिला नागौर, राज0		तहसीलदार, खींवसर।

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री धर्माराम खुड़खुडिया।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राज वकील श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय **दिनांक– 10.04.2017**

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खींवसर के मुकदमा नम्बर 334/2016 अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत सरकार बनाम खींयाराम में पारित निर्णय दिनांक 04.01.17 से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.02.2017 को प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बिरलोका ने अपीलान्ट द्वारा ग्राम गुलासर के खसरा नम्बर 9 की रास्ते की भूमि में से रकबा 1–09 बीघा पर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट पर तहसीलदार खींवसर द्वारा मुकदमा संख्या–334/2016 सरकार बनाम खींयाराम दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 04.01.17 से अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर तीन माह के सिविल कारावास एवं अपीलान्ट को रास्ते की भूमि से बेदखली एवं जुर्माने का निर्णय पारित किया गया।

प्रकरण में वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज को रेकर्ड पर लिये जाने का अनुरोध किया, प्रार्थना पत्र की नकल वकील राजपैराकार को दी गई। अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में कथन किया कि अपील अपीलान्ट पेश होने के पश्चात अपील में दर्ज आधारों व तथ्यों को दर्ज करते हुए पटवारी हल्का व सह अपराधियों के कृत्य के बारे में आपराधिक परिवाद पेश किया है, जिसकी प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ पेश की गई है, जो अपील हाजा के निर्णय हेतु अत्यन्त ही सुसंगत एवं न्याय हेतु पत्रावली पर ग्रहण किये जाने की आज्ञा दिया जाना न्यायोचित होने का कथन करते हुए परिवाद अपील में ग्रहण किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट के उक्त कथन का विरोध करते हुए अपनी बहस में कथन किया की मात्र परिवाद पेश करने के आधार पर, जिनके विरूद्ध परिवाद पेश किया गया है, उन्हे दोषी नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा फौजदारी परिवाद पेश कर देने के आधार पर पटवारी द्वारा हस्तगत प्रकरण की गई रिपोर्ट आदि को गलत नहीं माना जा सकता है एवं न ही अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेज हस्तगत प्रकरण में निर्णय पारित करने में कोई प्रभाव रखने का कथन करते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। प्रकरण में राजपैरोकार द्वारा किये गये कथन सुसंगत प्रतीत होते है। अतः

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में किये गये कथनों को दौहराते हुए कथन किया की पटवारी हल्का बिरलोका ने अपीलान्ट को ख0नं0 9 रकबा 1.09 बीघा गैर मुमकिन रास्ता वाके गुलासर तहसील खींवसर पर अतिक्रमी मानकर तहसीलदार खींवसर के समक्ष रिपोर्ट पेश करने पर मुकदमा दर्ज कर अपीलान्ट को तलब किया गया व अपीलान्ट की ओर से पुत्र हुक्माराम ने जबाब पेश कर उक्त वादग्रस्त रास्ते की भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं होना तथा अपीलान्ट के खेत के पश्चिमी तरफ रास्ता है फिर भी रास्ता अपीलान्ट के खेत पूरा होने के बाद में रास्ता छोड़ने के लिए तैयार है। उक्त रास्ता के पश्चिम में जोधपुर की सीमा लगती है तथा रास्ता नाप कर अपीलान्ट के खेत का रकबा पूरा होने पर यदि अपीलान्ट का कोई कब्जा पाया जावे तो ऐसा कब्जा अपीलान्ट छोड़ने को तैयार है। उक्त रास्ता अपीलान्ट के खेत में नहीं है इसलिए कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन किया।

तत्पश्चात उक्त जबाब के तथ्यों की अनदेखी करते हुए व जबाब में वर्णित अनुसार मौके पर नाप चोप किये बिना ही व अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत व पटवारी से जिरह का अवसर दिये बिना ही, बिना विधिक प्रकिया अपनाये दिनांक 20.9.2016 को अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल करने व 22रू. जुर्माना राशि अधिरोपित करने का निर्णय पारित कर दिया, जिस निर्णय दिनांक 20.9.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने राजस्व अपील संख्या–92/16 न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की, उक्त अपील में दर्ज तर्कों पर विचार किये बिना ही न्याय के सिद्धान्तों के विपरित आदेश जैर अपील दिनांक 25.10.16 को पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में पेश की जिस पर दिनांक 7.11.2016 को प्रकरण संख्या 92/16 तथा प्रथम अपील संख्या 97/16 के आदेश को स्थगित करते हुऐ मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखने का आदेश पारित किया गया, जिसकी जानकारी पटवारी हल्का व तहसीलदार खींवसर को होते हुऐ भी उन्होने पुनः नया कब्जा नहीं किये जाने की स्थिति में ही मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पुनः मुकदमा संख्या–334/16 में अपीलान्ट को तीन माह की सिविल कारावास इत्यादि की सजा के आदेश कर दिये जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अदालत मातहत द्वारा दिये गये नोटिस में तथा पटवारी की अतिक्रमण की रिपोर्ट में यह खुलासा तथ्य दर्ज नहीं है कि कथित रास्ते के किस भाग पर कितनी लम्बाई, चौड़ाई में किस आधार पर अपीलान्ट ने कब्जा/अतिक्रमण किया है और न ही अपीलान्ट पर नोटिस की व्यक्तिगत तामील हुई है, न ही अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत का अवसर दिया गया। आदेश जैर अपील विधि एवं न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

मौके पर 29 फुट चौड़ा रास्ता चालू हालत में मौजूद है तहसीलदार उक्त 29 फुट रास्ते की भूमि को विपरित दिशा के खातेदार को सौपंना चाहते है तथा अपीलान्ट के खेत की भूमि बिना नाप किये, रास्ते के लिए खाली करवाना चाहते है, इन परिस्थितियों में प्रकरण संख्या 92/16 के दण्डादेश पर यथास्थिति के आदेश होते हुए भी पुनः प्रकरण दर्ज कर तीन माह की सिविल कारावास के दण्डादेश पारित करने में त्रुटि की है।

खसरा नम्बर 14 तथाकथित रास्ते के एक तरफ स्थित है, जिसका सहकाश्तकारों के बीच बंटवाड़ा जरूर हुआ है तथा रास्ते के चिपता हुआ 59 बीघा का रकबा अपीलान्ट के कब्जे काश्त में जरूर है मगर खसरा नम्बर 14 बहुत बड़ा रकबा है तथा मौके पर सहखातेदारों के बीच बंटवाड़ा अनुसार नक्शे में दुरूस्ती की हुई नहीं है जब तक खसरा नम्बर 14 के विपरित दिशा की सीमा को कायम कर निश्चित बिन्दु से रास्ते की सीमाओं

को कायम नहीं किया जाता तब तक सैकड़ों बीघा जमीन पर एक तरफ रास्ते की सीमा बिना भूमाप के कतेई कायम नहीं की जा सकती। दूसरी सीमा के आगे जिला जोधपुर के बिरसालू गांव की सीमा है तथा गुलासर व बिरसालू सीमा के सीमा चिन्ह प्रमाणिक कायम कर उस स्थान पर से रास्ते की सीमाओं का सीमांकन किया जा सकता है। मगर पटवारी हल्का ने सीमाओं की जानकारी व सीमांकन किये बिना अंदाज से अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है। यदि आदेश जैर अपील निरस्त नहीं किया तो रास्ते के बहाने खातेदारी से बेदखल होना पड़ेगा तथा विपरीत दिशा का खातेदार मजे से कायम अतिक्रमी बने भूमि का उपयोग उपभोग करता रहेगा। इन परिस्थितियों में नागौर जोधपुर जिले के उक्त दोनों गांवों की सीमा चिन्ह से अथवा खसरा नम्बर 14 के चारों सीमाओं को कायम कर तत्पश्चात भूमाप कर निये सिरे से निर्णय करने हेतु पत्रावली रिमाण्ड किया जाना न्याय संगत है।

तहसीलदार खीवसर स्वंय ने अपने स्तर पर मौका निरीक्षण नहीं किया है। निर्णय से पूर्व यदि स्वंय अपने स्तर पर मौका निरीक्षण करते व मुन्तकिल पोंइट कायम कर सीमाज्ञान करवाया जाता तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती मगर ऐसा नहीं कर पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानकर जल्दबाजी में निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से जिरह का भी अवसर नहीं दिया है तथा न हीं साक्ष्य सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया है, जिससे भी विधिक निर्णय नहीं हुआ तथा हस्तक्षेप योग्य होते हुए भी न्यायालय हाजा ने अपीलान्ट की अपील खारिज कर निर्णय यथावत रखने में विधिक त्रुटि की है।

अपीलान्ट ने अदालत मातहत तहसीलदार खींवसर तथा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर नागौर एवं उपखण्ड अधिकारी खींवसर के समक्ष धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत स्थाई मुटाम से पेमाईश कर अपीलान्ट के सहखातेदारी के सहखातेदारों की मौजूदगी में सीमा कायम करने हेतु निवेदन किया। मगर अदालत मातहत ने बिना पेमाईश करवाये हठधर्मिता से पूर्व में भी विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया व ख0नं0 14 मूल के राजस्व रेकर्ड में 10–15 से भी ज्यादा व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज है मगर अकेले अपीलान्ट के खिलाफ दर्ज करने में त्रुटि की गयी है तथा अब पुनः गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर निर्णय जैर अपील अपास्त करने तथा विकल्प में मामला इस निर्देश के साथ की नागौर जोधपुर जिले के उक्त दोनों गांवों गुलासर व बिरसालू की सीमा चिन्ह से अथवा खसरा नम्बर 14 के चारों सीमाओं को कायम कर तत्पश्चात भूमाप कर व अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत व जिरह आदि का पर्याप्त अवसर दिया जाकर उसके पश्चात नये सिरे से निर्णय करने हेतु तहसीलदार को रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

राजपैराकार श्री कुन्दसिंह आचीणा ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की अपीलान्ट द्वारा ग्राम गुलासर के खसरा नम्बर 09 रकबा 1.09 बीघा रास्ते की भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण तथा पूर्व में अपीलान्ट अतिक्रमी को मु0नं0 97/16 के द्वारा बेदखल करने की रिपोर्ट बाद जॉच भू–अभिलेख निरीक्षक बिरलोका के पटवारी हल्का बिरलोका द्वारा तहसीलदार खींवसर को प्रस्तुत की, उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार खींवसर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण संख्या–334/16 दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया अपीलान्ट द्वारा नोटिस लेने से इंकार करने पर दो मौतबिरान के समक्ष नोटिस की एक प्रति आबाद मकान पर चस्पा की गई, जो विधि अनुसार सही है। इसके बावजूद अपीलान्ट न तो अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ और न ही स्वंय की ओर से प्रतिरक्षण में कोई साक्ष्य सबूत इत्यादि पेश किये। इस प्रकार

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने प्रतिरक्षण पर्याप्त अवसर दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पूर्व में पटवारी हल्का बिरलोका द्वारा अपीलान्ट द्वारा ग्राम गुलासर के खसरा नम्बर 9 की रास्ते की भूमि रकबा 1–09 बीघा पर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट पर तहसीलदार खींवसर द्वारा मुकदमा संख्या–97/16 सरकार बनाम खींयाराम दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 20.9.16 से अपीलान्ट को रास्ते की भूमि से बेदखली एवं जुर्माने आदि का निर्णय पारित किया गया।

उक्त निर्णय दिनांक 20.09.16 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने पर, राजस्व अपील संख्या–92/16 खींयाराम बनाम तहसीलदार खींवसर दर्ज की जाकर पक्षकारान की विधिवत सुनवाई कर निर्णय दिनांक 25.10.2016 से अपीलान्ट की अपील खारिज की गई। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 25.10.2016 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, जिसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा हस्तगत प्रकरण में मुकदमा संख्या–48/2016 खीयाराम बनाम तहसीलदार खींवसर में राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2016 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश दिनांक 07.11.2016 के अनुसार रेस्पोडेन्ट को विवादित आराजी की आगामी आदेश तक मौके एवं राजस्व रिकार्ड की वर्तमान यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये है।

राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर का उक्त आदेश दिनांक 7.11.2016 से ही प्रभावी होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय के मुकदमा संख्या–97/16 में पारित निर्णय एवं तहसीलदार खींवसर के आदेश दिनांक 27.9.2016 की पालना में पटवारी हल्का बिरलोका द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 30.11.2016 को बेदखल किया गया है, जो हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध भौतिक बेदखली दिनांक 30.11.16 से स्पष्ट है। इसके साथ ही उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में पटवारी हल्का बिरलोका की रिपोर्ट दिनांक 22.12.16 पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः नया प्रकरण संख्या–334/2016 अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज कर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया है, जो कतई विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट की स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को अपास्त किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की एक प्रति पालनार्थ भिजवाई निर्णय सुनाया।

10/04/17

(राजन विशाल),
जिला कलक्टर, नागौर